भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 560

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा पहल</u>

560. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड को सौर और जलविद्युत उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए कोई विशेष पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो हरिद्वार जिले में स्थापित सौर रूफटॉप और सौर पार्कों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त राज्य में हरित ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए कोई नई परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): उत्तराखंड राज्य में विष्णुगढ़ पीपलकोटी (444 मेगावाट), तपोवन विष्णुगढ़ (520 मेगावाट) तथा लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना (300 मेगावाट) नामक तीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

सरकार ने उत्तराखंड सहित देश में सौर परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। किए गए प्रमुख उपाय अनुलग्नक में दिए गए हैं।

दिनांक 27.11.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के अंतर्गत, हरिद्वार जिले में 7196 सौर रूपटॉप प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

(ग) दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखंड राज्य को कुल 3685 सौर पंप आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 1636 पंप स्थापित किए जाने की सूचना है।

(घ) उत्तराखंड सरकार ने 250 मेगावाट (लगभग) के संचयी लक्ष्य से सीएम सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें व्यक्ति को (20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट की विभिन्न क्षमताओं वाले सौर विद्युत संयंत्र) सौर विद्युत संयंत्र उपलब्ध कराया जाता है।

अनुलग्नक

दिनांक 03.12.2025 के लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 560 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषणयोग्य नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं

- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजाति तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।

- सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों (यानी, सौर पीवी मॉड्यूल, सौर पीवी इनवर्टर और भंडारण बैटरी) और सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं।

- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना ढांचे के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए.
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****